संख्या-117/2023/828/001-23-9-2023-01अन्य/2016

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊः दिनांक 07 मई, 2023**

विषय वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के 08 चालू कार्य पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार अनजुडी बसावट योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 08 कार्यों हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में तालिका के स्तम्भ-11 के अनुसार रू0 4,60,64,000/- (रूपये चार करोड़ साठ लाख चौसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र 0 सं0	मुख्य अभियंता(मु0-1) लो0नि0वि0 का पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत/प्राविधिक लागत/गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3965/CE-HQ1/VR(PURNIRMAN)/LKO/2023-24 Dt- 28-04-2023	नि-.ख. 2 हरदोई	बेंहदरखुर्द से बेहदरकलां संपर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य।	81/2023/623/23-9-2023/001-23-9002-002/17-2023-दिनांक-22-03-2023	66.07 66.07 50.14	0.00	66.07	11.08	54.99	54.99
2	3966/CE-HQ1/VR(PURNIRMAN)/GKP/2023-24 Dt- 28-04-2023	प्रा.ख. महराज गंज	महाराजगंज बागापार कटहरा खास सम्पर्क मार्ग के चै0 0.000-0.900 में सी0सी0 रोड तथा 0.900 से 5.200 तक में पी0सी0 कार्य की पुनर्निर्माण का कार्य।	41/2023/501/23-9-2023-दिनांक-02-03-2023	257.04 257.04 196.38	5.00	252.04	50.52	201.52	126.02
3	3990/CE-HQ1/VR(PURNIRMAN)/BAN/2023-24 Dt- 29-04-2023	प्रा.ख. बांदा	बबेरूकमासिन से-बिनवट	66/2023/578/23-9-2023/001-23-9002(002)/14/2023-दिनांक-15-03-2023	41.31 41.31 23.48	8.30	33.01	1.37	31.64	31.64
4	3990/CE-HQ1/VR(PURNIRMAN)/BAN/2023-24 Dt- 29-04-2023	प्रा.ख. बांदा	फतेहपुर -बबेरूअतर्रा से -कैरी।	66/2023/578/23-9-2023/001-23-9002(002)/14/2023-दिनांक-15-03-2023	50.36 50.36 27.23	9.63	40.73	1.67	39.06	39.06
5	4077/CE-HQ1/VR(PURNIRMAN)/ADY/2023-24 Dt- 02-05-2023	प्रा.ख. अम्बेड करनगर	गोकुलापुर डायट से हरीपुर होते हुए टडवा गांव नहर सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य।	81/2023/623/23-9-2023/001-23-9002-002/17-2023-दिनांक-22-03-2023	68.79 68.79 50.54	1.95	66.84	2.28	64.56	64.56
6	4077/CE-HQ1/VR(PURNIRMAN)/ADY/2023-24 Dt- 02-05-	प्रा .ख. अम्बेड करनग	नरायनपुर घाट से रामबाबा सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण का	81/2023/623/23-9-2023/001-23-9002-002/17-2023-दिनांक-22-	68.79 68.79 45.34	2.10	66.69	2.28	64.41	64.41

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र 0 सं0	मुख्य अभियंता(मु0-1) लो0नि0वि0 का पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत/प्राविधिक लागत/गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2023	र	कार्य।	03-2023						
7	4078/CE-HQ1/VR(PURNIRMAN)/ALI/2023-24 Dt- 02-05-2023	प्रा.ख. हाथरस	अगसौली मन्दिर से मन्थरी शाहपुर मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य।	110/2023/674/23-9-2023/001-23-9002-001/2023-दिनांक-31-03-2023	18.56 18.56 18.54	0.02	18.54	1.05	17.49	17.49
8	4079/CE-HQ1/VR(PURNIRMAN)/MIR/2023-24 Dt- 02-05-2023	नि-.ख. 2 सोनभद्र	चतरा बंजरिया मार्ग से रामगढ कुराकला होते हुए सरई संपर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य।	81/2023/623/23-9-2023/001-23-9002-002/17-2023-दिनांक-22-03-2023	75.41 75.41 47.36	7.54	67.87	5.40	62.47	62.47
					योग					**460.64**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इस उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्तम्भ -5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि कोई कार्य नगरीय सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित है, तो प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नगरीय निकाय चुनाव के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहित प्रभावी रहने तक उक्त कार्यों हेतु धनराशि निर्गत न की जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,60,64,000 (रुपये चार करोड़ साठ लाख चौंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371500 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुननिर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- उपरोक्त एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।

10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।

11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2

12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।